

# हिन्दी की विकास यात्रा

साहित्यकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों का योगदान



संपादक

डॉ. एस. प्रीति, डॉ. उषा रानी राव  
डॉ. एस. रजिया बेगम

*[Handwritten Signature]*

PRINCIPAL  
L.V.D. College, RAICHUR-03.





ISBN : 978-81-942920-1-2

© लेखक

प्रथम संस्करण : 2020

प्रकाशक : सृजनलोक प्रकाशन

B - 1, दुग्गल कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली - 110062

प्रास्था : पश्चिम बंगाल, आरा (बिहार) - 802301

मोबाइल : 7654926060, ईमेल : srijanlok@gmail.com

आवरण वित्र : कुंवर रविन्द्र

आवरण सज्जा : संतोष शैवांस

मुद्रक : आर्य प्रिंटिंग पैक, ओमला फेज-1, नई दिल्ली

Hindi Ki Vikas Yatra : Sahityakaron, Sansthaon Evam

Vyaktiyon Ka Yogdan (Collection of research articles)

Edited by : Dr. S Preeti, Dr. Usha Rani & Dr. Razia Begum

Published by : Srijanlok Prakashan, B - 1, Duggal Colony,  
Khanpur, New Delhi - 110062

₹ 450

## अनुक्रमणिका

1	बी. एल. अच्छा	राष्ट्रीय और विश्वभाषा के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी	8
2	डॉ. रानू मुखर्जी	समकालीन कथा परिदृश्य में स्त्री रचनाकार	13
3	डॉ. सत्यनारायण मुंडा एवं मसकल मुंडा	मुण्डारी साहित्य-अनुवाद में हिन्दी की व्यापकता	17
4	सुभाषिणी एस. लता	फ़ीजी में हिंदी का कारवाँ : संस्थाएं एवं प्रचार-प्रसार	20
5	डॉ. लव कुमार	नए नाटकों की भाषायी पहचान	24
6	डॉ. अरुण हेमंत	न्यायालयों में हिंदी	28
7	डॉ. वी पद्मावती	हिन्दी और तमिल कहानी के विविध पड़ाव	30
8	डॉ. समीर प्रजापति	विश्व हिंदी सम्मलेन: दर्पण भी दीपक भी	36
9	डॉ. के. श्याम सुन्दर	विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी	40
10	डॉ. कविता पनिया	मीडिया और इंटरनेट में हिंदी की भूमिका	43
11	मनप्रीत सिंह संधू	सांस्कृतिक चेतना के विकास में हिन्दी निबंधों का योगदान	46
12	गौरव कुमार	हिंदी भाषा के विकास में साहित्यिक हिंदी पत्रिकाओं का योगदान	50
13	हेमंत कुमार	हिंदी में यात्रा साहित्य का स्थान	54
14	डॉ. अनिता सिंह	हिंदी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का योगदान	59
15	दीपंकर पाठक	सिलीगुड़ी में हिंदी की दशा दिशा	63
16	अरुण कमल	हिन्दी साहित्य के विकास में लघु पत्रिकाओं का योगदान	65
17	प्रो. लता सुमंत	गांधी और हिन्दी	68
18	डॉ. रोहिणी पांडियन	फ़ादर कामिल बुल्के का हिंदी भाषा के प्रचार- प्रसार में योगदान	70
19	मधूसुदन	हिंदी के विकास का साथी ब्लॉग	73
20	श्रीमती आशा त्रिपाठी एवं सुश्री प्रतिष्ठा मिश्रा	विश्व क्षितिज पर प्रतिष्ठित होती हिंदी	75
21	डॉ. राजनारायण अवस्थी	हिन्दी में तकनीकी लेखन के विकास में ईसीआईएल का योगदान	78
22	डॉ. एन. लक्ष्मी	अण्डमान और निकोबार में हिंदी भाषा व साहित्य	86
23	डॉ. इन्दू के वी	प्रवासी हिंदी कहानी में भारतीय लेखिकाओं की देन: ब्रिटेन के विशेष सन्दर्भ में	90
24	डॉ. पूजा वैष्णव	हिन्दी का अंतरप्रान्तीय भाषिक समन्वय	94
25	डॉ. पूजा तिवारी	अस्मिता के संघर्ष का रेखांकन करती मौरीशस की हिंदी कविता	97

4 | हिन्दी की विकास यात्रा

# न्यायालयों में हिंदी कार्रवाई की सार्थकता

डॉ. अरुण हेरेमत

विभाग अध्यक्ष

एल. वी. डी. कॉलेज, रायपूर, कर्नाटक राज्य

दूरभाष: 08277622133

न्याय की संकल्पना मानव के विकास का वह आयाम है, जिससे वह मानवता की ओर अग्रसर होता है, अर्थात् मानवीय विकास का उच्चतम शिखर। न्याय का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हो। यदि वह व्यवहार उचित नहीं है तो किसी तीसरे व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार होगा कि वह व्यवहार का विवेचन कर यह तय करे कि कथित व्यवहार उचित था या नहीं। यदि नहीं प्रश्न का उत्तर है तो वहीं से न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ होता है।

प्रारंभिक अवस्था में कानून का उदय सामाजिक मर्यादाओं, परंपराओं एवं लोकव्यवहार के आधार पर ही हुआ था। आज भी जो समाज अपनी परंपराओं एवं सामाजिक व्यवहार के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, अलिखित संविधान के माध्यम से देश का संचालन करता है। जहाँ परंपराओं की जड़ें उतनी गहरी नहीं थीं, वहाँ लिखित संविधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यहीं से कानून का उदय हुआ।

सामाजिक सरोकार का सबसे बड़ा माध्यम भाषा है। यदि भाषा न हो तो लोकव्यवहार को संचालित करना असंभव तो नहीं, किंतु कठिन अवश्य हो जाएगा। सामाजिक अन्योन्याश्रितता के कारण भाषा संप्रेषणीयता समाज को पिरोकर रखने का सर्वाधिक सफल माध्यम है। इस दृष्टि से भाषा का प्रश्न न्यायप्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाज मात्र कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं है। वह ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो अपने व्यवहार, अपनी परंपराओं, तीजत्योहारों एवं एक ही सांस्कृतिक सूत्र से बँधे हुए महसूस करते हैं।

जब भाषा का महत्व लोकव्यवहार में इतना अधिक है तो उस प्रक्रिया में उसका महत्व कितना होगा, जो लोकव्यवहार को नियंत्रित करती है, अर्थात् 'न्यायपालिका'। भारत एक विविधताओं वाला राष्ट्र है। जहाँ 'कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी', फिर भी अनेक भाषाओं, परंपराओं, लोक संस्कृतियों के विभिन्न स्वरूपों के बावजूद हजारों सालों से भारतभूमि एक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी सुदृढ़ छवि के साथ प्रतिष्ठित है।

भारतीय न्यायप्रणाली विश्व की प्राचीनतम न्याय प्रणालियों में से एक है, जो 'कानून का राज्य' के सिद्धांत पर कार्य करती रही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के हृदय में यह भाव सदा रहा है कि अधिकारों का प्रयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बाद ही संभव है। इस देश में जब शासन-व्यवस्था राजाओं के हाथ में थीं, तब भी राजा के अधिकार